जनसंख्या को स्थिर करने के लिए 'टू चाईल्ड नॉर्म' (2CN) एक प्रभावी रणनीति क्यों नहीं है?

टू चाईल्ड नॉर्म (2सीएन) (2CN) एक लक्ष्य-उन्मुख परिवार-आकार नीति निर्देश है, जो दंपत्तियों को प्रोत्साहन और निरुत्साहन योजनाओं - जिनमे पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशियों की अयोग्यता प्रमुख है - की एक श्रृंखला के माध्यम से, अपने परिवार को दो बच्चों तक सीमित रखने के लिए बाध्य करती है। 2CN चीन की एक बच्चा आदर्श नीति से लिया गया विचार है और यह केवल सक्रिय प्रजनन आयु समूहों के व्यक्तियों पर लागू होती है। नीति से जुड़ी प्रोत्साहन और निरुत्साहन योजनाओं में न्यूनतम विवाह आयु, अच्छी तरह से बदलाव को प्रभावित करने वाले हितधारकों के लिए अनुदान, चुनाव लड़ने के अधिकार पर प्रतिबंध और ग्राम रिकॉर्डिंग प्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं ।

प्रजनन क्षमता को कम करने और जनसंख्या वृद्धि को कम करने में प्रभावशाली प्रगति के कारण भारत या किसी भी भारतीय राज्य[1] के लिए 2CN के अमल पर विचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है ।

ऐसे उपाय जो एक परिवार के बच्चों की संख्या पर रोक लागू करने की कोशिश करते हैं या 2CN हमेशा प्रतिकूल साबित हुए हैं।

<u>राष्ट्रीय स्तर पर:</u>

1. **टू चाईल्ड नॉर्म को लागू करना भारत सरकार के अपने रुख के प्रतिकूल है।**
   - परिवार नियोजन कार्यक्रम की घोषणा करने वाले पहले देश के रूप में, भारत ने हमेशा यह स्टैंड लिया है कि 'विकास सबसे अच्छा गर्भनिरोधक है'। 1976-78 के बीच, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, नसबंदी के लक्ष्यों (दो बच्चा नीति के साथ इन्हें लाए जाने की संभावना है) को पूरा करने के लिए जबरन नसबंदी और नसबंदी के लक्ष्यों को लागू किया गया, जिसके गंभीर राजनीतिक परिणाम हुए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने भारत के परिवार नियोजन कार्यक्रम को लगभग दो दशक पीछे धकेल दिया।
   - 1994 में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन (आईसीपीडी) (ICPD) के हस्ताक्षरी के तौर पर, भारत मानवाधिकार दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक था और देश ने इस बात पर जोर दिया कि लैंगिक (जेंडर) समानता सुनिश्चित करके, महिलाओं को सशक्त करके और शिक्षा में सुधार के माध्यम से छोटे परिवार की नीति को हासिल किया जा सकता है।
   - भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (एनपीपी) (NPP) 2000 पूरी तरह से आईसीपीडी (ICPD) में की गई प्रतिबद्धताओं को शामिल करती है और इसका उद्देश्य गर्भनिरोधकों और सेवाओं की अपूर्ण आवश्यकता को पूरा करना है - एक छोटे परिवार की नीति की वकालत करके और बिना किसी रोक या सुझाव दिए की एक परिवार में कितने बच्चे हो सकते है ।
   - 2CN को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2020 में कहा कि "*अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि बच्चों की एक निश्चित संख्या के लिए कोई भी जबरदस्ती प्रतिकूल साबित होती है*

---

[1] 2सीएन (2CN) शुरू करने के लिए असम और उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों के लिए अनुलग्नक 1 देखें

और जनसांख्यिकीय विकृतियों की ओर ले जाती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, जो

दंपतियों को अपने परिवार का आकार तय करने और उनके लिए सबसे उपयुक्त परिवार नियोजन विधियों को उनकी पसंद के अनुसार, बिना किसी मजबूरी के अपनाने में सक्षम बनाता है।"

2. **टू चाईल्ड नॉर्म को लागू करना आवश्यक नहीं है क्योंकि अधिकांश राज्य प्रतिस्थापन कुल प्रजनन दर 2.1 से नीचे पहुंच गए हैं। अन्य तेज़ी से प्रतिस्थापन टीएफआर (TFR) 2 तक पहुंच रहे हैं।**
   - भारत की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (TFR) 2000 में 3.2 से घटकर 2.2 हो गई है (नमूना पंजीकरण प्रणाली, 2018)।
   - यहां तक कि 2015-16 तक, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 24 ने प्रतिस्थापन टीएफआर (TFR) 2.1 हासिल कर लिया था। भारत का शहरी टीएफआर (TFR) 1.8 है - जो प्रतिस्थापन टीएफआर (TFR) 2.1 से काफी कम है।
   - 2015-16 से प्रगति प्रभावशाली रही है। एनएफएचएस-5 (NFHS-5) द्वारा 2019-20 के लिए 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी सीमित आंकड़ों के अनुसार, केवल तीन राज्यों (बिहार, मणिपुर और मेघालय) को 2.1 या उससे कम का टीएफआर (TFR) हासिल करना बाकी है।
   - बिहार में टू चाईल्ड नॉर्म के बिना टीएफआर (TFR) कटौती में तेजी आई है। 2015-16 और 2019-2020 के बीच (चार साल में), बिहार का टीएफआर (TFR) 3.4 से घटकर 3.0 हो गया। बिहार में 2019-20 में शहरी टीएफआर (TFR) 2.4 है - प्रतिस्थापन दर 2.1 के करीब है।

3. **भारत की प्रजनन दर को नियंत्रण करने के कठोर प्रयास अब अगले 25 वर्षों में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर को महत्वपूर्ण रूप से धीमा नहीं करेंगे।**
   - 2048 तक भारत की जनसंख्या का 1.6 अरब (जो आज 1.3 अरब है) के शिखर पर पहुंचने का अनुमान है। अनुमानित जनसंख्या वृद्धि में अकेले जनसंख्या गति 70 प्रतिशत से अधिक होगी।
   - 2048 के बाद भारत की जनसंख्या में भारी गिरावट आएगी और 2100 में कुल प्रजनन दर घटकर 1.3 हो गई होगी और जनसंख्या 1.1 अरब तक आ गई होगी।

4. **यहां तक कि चीन ने भी अपनी एक बच्चा की नीति को हटा दिया है।** यहां तक कि, नकारात्मक परिणामों से चिंतित, चीन - दुनिया का एकमात्र देश जिसने अनिवार्य जनसंख्या नीति अपनाई - ने अपनी एक बच्चा और टू चाईल्ड नॉर्म को हटा दिया है।

5. **चीन को छोड़कर किसी भी देश ने प्रजनन दर कम करने के लिए बच्चों की संख्या पर रोक लगाने की नीति नहीं अपनाई।** इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे उच्च प्रजनन समाज - दोनों मुस्लिम बहुल देश हैं - ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देकर, महिलाओं को सशक्त बनाकर, गर्भ निरोधकों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करके, अधिक सुविधाजनक सेवाएं - जो अक्सर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर पर प्रदान की जाती हैं - प्रदान करके अपनी प्रजनन दर कम की है।

6. **क्या करने की जरूरत है, इस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे पास अपना बहुत अनुभव है।** केरल और तमिलनाडु सहित राज्यों में भारत का अपना अनुभव हमें बताता है कि प्रजनन क्षमता को कम करने और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए क्या जरूरी है: बुनियादी सेवाओं का प्रावधान सुनिश्चित करना, अवसरों का विस्तार करना, लड़कियों की शिक्षा में निवेश करना और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।

व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर:

1. **भारतीय महिलाएं दो से ज्यादा बच्चे नहीं चाहती हैं।**
   - 2015-16 में 15-49 वर्ष की महिलाओं में औसत आदर्श परिवार का आकार 2.2 था[2]।
   - भारत में वास्तविक प्रजनन दर 2.2 बच्चों की तुलना में कुल वांछित प्रजनन दर[3] प्रति महिला 1.8 बच्चे हैं।
   - भारत में, प्रजनन क्षमता के प्रतिस्थापन स्तर से ऊपर वांछित प्रजनन दर केवल पांच राज्यों में हैं - मेघालय (2.8), बिहार (2.5), मणिपुर और नागालैंड (प्रत्येक में 2.3), और मिजोरम (2.2)

2. **साक्ष्य बताते हैं कि परिवार के आकार को निर्धारित करने में धर्म एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति, गरीबी, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की कमी पूरे देश भर में प्रजनन क्षमता के अंतर के कारण हैं।**
   - सभी धर्मों में वांछित प्रजनन दर प्रतिस्थापन टीएफआर (TFR) 2.1 से कम है: हिंदुओं में 1.7, मुसलमानों में 2.0, ईसाइयों में 1.7 और सिखों में 1.4 है।
   - केरल (टीएफआर [TFR] = 1.86) और तमिलनाडु (टीएफआर [TFR] = 1.74) में मुस्लिम महिलाओं का टीएफआर (TFR) बिहार (3.29) और उत्तर प्रदेश (2.67) की हिंदू महिलाओं के टीएफआर (TFR) से कम है।

3. **प्रजनन दर को कम करने में लड़कियों की स्कूली शिक्षा और बुनियादी शिक्षा से बहुत फर्क पड़ता है।**
   - 12 या अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा वाली महिलाओं के 1.8 बच्चों की तुलना में, बिना स्कूली शिक्षा वाली महिलाएं 2.6 बच्चों को अपने बच्चों की आदर्श संख्या मानती हैं।

4. **2CN नीति गरीबों, कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, जिन्हें बुनियादी सामाजिक सेवाओं तक समान पहुंच से वंचित रखा गया है, के लिए अन्यायपूर्ण और अनुचित है।.**
   - समाज के हाशिए वाले वर्गों को 2CN सबसे अधिक प्रभावित करता है: जिनके पास पर्याप्त बच्चों और मातृ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कम पहुंच है और जो उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण अधिक बच्चे पैदा करते हैं। एनएफएचएस-4 (NFHS-4) के अनुसार, वर्तमान में विवाहित महिलाओं में से 13% (या वर्तमान में 15-49 वर्ष की आयु वर्ग में 2.9 करोड़ विवाहित महिलाओं) में परिवार नियोजन की अपूर्ण आवश्यकता है और गर्भनिरोधक का उपयोग सबसे कम है; अनुसूचित जनजाति (45%) की महिलाओं के बाद अन्य पिछड़े वर्गों में 47% है और अनुसूचित जाति की महिलाओं में 49% है। दंड लगाने का कोई भी प्रयास गरीबों, समाज में निरक्षर और सामाजिक रूप से वंचित समूह के प्रति पक्षपाती है; वही समूह जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और उपेक्षा का सामना किया है।

5. **2CN नीति लिंग (जेंडर) असंवेदनशील है और इससे महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ और भी अधिक भेदभाव होगा**
   - मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों (जहां 2CN लागू किया गया है) के अनुभव बताते हैं कि यह महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है - स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए तीसरे बच्चे के सबूत को गलत ठहराने के लिए पुरुष अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, बच्चों को गोद दिया जाता है, लिंग-चयन गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या में भारी वृद्धि दिखाई गई है (Buch 2005) ।
   - टू चाईल्ड नॉर्म के परिणामस्वरूप हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम होने के साथ, अत्यधिक विषम लिंगानुपात देखा गया। नतीजतन, महिलाओं को दुल्हन के रूप

में बेचा जाता है और उन्हें यौन कार्य के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें गुलाम बना के रखा जाता है, उनके साथ शारीरिक और यौन शोषण किया जाता है और अंततः उन्हें छोड़ दिया जाता है। बेटे की चाह (एक पुरुष बच्चे की इच्छा) के संदर्भ में बदलते सामाजिक मानदंडों के परिणामस्वरूप भारत में 0-25 आयु वर्ग (आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18) में 2.1 करोड़ 'अवांछित लड़कियां' हैं।

6. 2CN नीति भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर करती है

- प्रजनन अधिकार अपरिहार्य मानव अधिकार हैं और अनिवार्य रणनीतियां कई प्रजनन अधिकारों में बाधा डालती हैं, जिसमें सूचना का अधिकार, शारीरिक अखंडता का अधिकार, और बच्चों की संख्या और उनके बीच अंतराल को स्वतंत्र रूप से तय करने का अधिकार शामिल हैं। ये रणनीतियां व्यक्तियों को एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य निर्णय लेने से पहले उपलब्ध परिवार नियोजन विकल्पों से वंचित करती हैं।

भारत में जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने के लिए छह कार्य:

उच्च प्रजनन क्षमता वाले भारतीय राज्यों में प्रजनन क्षमता को कम करने और जनसंख्या को स्थिर करने के लिए छह कार्यों की तत्काल आवश्यकता है।

1) टू चाईल्ड नॉर्म को रद्द करना - राज्यों को अपनी जनसंख्या को एक दायित्व के बजाय, विकास के लिए एक संपत्ति के रूप में देखने की जरूरत है। इन्हें सभी प्रोत्साहन और निरुत्साहन को हटा देना चाहिए और इनके बजाय परिवार नियोजन और विकास कार्यक्रमों को मजबूत करके, दंपत्तियों को अपने स्वयं के सकारात्मक प्रजनन विकल्प अपनाने में सक्षम बनाना चाहिए। सरकारों को सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक खर्च करने, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने, कौशल शिक्षा में निवेश करने, पुरुषों और महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने, और एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क विकसित करने की जरूरत है।

2) **यह सुनिश्चित करना कि लड़कियां कम से कम दस साल की स्कूली शिक्षा पूरी करें**

3) पूरे देश में **परिवार नियोजन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और उन तक पहुंच** आवश्यक है, ऐसा करने से आईएमआर (**IMR**) और एमएमआर (**MMR**) कम हो जाता है, और इसलिए वांछित प्रजनन दर कम हो जाती है। विशेष रूप से युवा आबादी के लिए पसंद के विकल्पों का विस्तार और उचित अंतराल की विधियों को बढ़ावा देकर, गर्भ निरोधकों की आपूर्ति और गुणवत्ता में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है।

4) स्कूल में और स्कूल से बाहर के बच्चों के लिए **व्यापक प्रजनन यौन स्वास्थ्य शिक्षा** को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और किशोरों और युवाओं को, विशेष रूप से लड़कियों को, सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना चाहिए।

5) **लैंगिक (जेंडर) समानता पहल में निवेश करना** - जैसे कि जल्दी और जबरन विवाह समाप्त करना और उन्हें जनबल में लंबे समय तक रहने के लिए सक्षम बनाने के लिए, उन्हें जीवन-कौशल शिक्षा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है; क्योंकि महिलाओं को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में अपने निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना सबसे महत्वपूर्ण कारक है, जो जनसंख्या की गति को कम कर सकता है।

---

[2] राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey) में 15-49 वर्ष की आयु की महिलाओं से पूछा गया कि यदि वे एक बार फिर से शुरू कर सकती हैं तो वे कितने बच्चे पैदा करना चाहेंगी। जिनके पहले से ही बच्चे थे, उनसे पूछा गया, 'यदि आप उस समय में वापस जा सकती हैं जब आपके कोई बच्चे नहीं थे और आप अपने जीवन में बच्चों की संख्या का ठीक चयन कर सकती हैं, तो वह कितने होंगे?' बच्चों वाली 15-49 वर्ष की महिलाओं से पूछा गया कि वे बच्चों की 'आदर्श' संख्या कितनी चाहती हैं।

[3] कुल वांछित प्रजनन दर प्रजनन क्षमता के उस स्तर को इंगित करती है जिसके परिणामस्वरूप सभी अवांछित जन्मों को रोका जा सकता है।

6) **परिवार नियोजन के लिए पुरुष भागीदारी और पुरुष जिम्मेदारी की वकालत** उनके प्रजनन निर्णयों और बच्चों के लिए पुरुषों की जिम्मेदारी को मजबूत करता है, रिश्तों को बेहतर बनाता है और उनमें मनमुटाव को कम करता है।

अनुलग्नक

भारत में टू चाईल्ड नॉर्म की वर्तमान स्थिति

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (एनएफएचएस)(NFHS) 2019-2020 के अनुसार, असम में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (TFR) 1.9 है, जो राष्ट्रीय औसत 2.2 से कम है। एनएफएचएस-5 (NFHS-5) के आंकड़ों से पता चलता है कि असम में इस समय 15-49 आयु वर्ग की 77% विवाहित महिलाएं और 63% पुरुष और बच्चे नहीं चाहते हैं, पहले से ही नसबंदी करवा चुके हैं या उनमें पति या पत्नी में से कोई एक पहले से ही नसबंदी या नलबंदी करवा चुके हैं। इससे पता चलता है कि एक अनिवार्य जनसंख्या नीति के बिना भी, पुरुष और महिलाएं छोटा परिवार चाहते हैं। *इसलिए, राज्य को गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से लंबे समय तक कार्यरत प्रतिवर्ती गर्भनिरोध (एलएआरसी) (*LARC), *जो हमारी किशोरों और युवाओं की बड़ी आबादी को देखते हुए महत्वपूर्ण हैं।*

9 जुलाई 2021 को, **उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग** ने राज्य के लिए प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का पहला मसौदा जारी किया। मसौदा विधेयक में उन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करने का प्रावधान है, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और टू चाईल्ड नॉर्म का पालन करने वालों के लिए भत्ते का प्रावधान है। एनएफएचएस-4 (NFHS-4) के अनुसार, समग्र जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 995 है, पिछले पांच वर्षों में जन्म लेने वाले बच्चों के जन्म के समय का लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर 903 लड़कियों का है। आंकड़ा स्पष्ट रूप से राज्य में लिंग चयन प्रथाओं में एक खतरनाक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता है। कड़े जनसंख्या नियंत्रण उपायों से संभावित रूप से इन प्रथाओं में वृद्धि हो सकती है और भारत में मजबूत पुत्र-वरीयता को देखते हुए असुरक्षित गर्भपात हो सकता है, जैसा कि पूर्व में कुछ राज्यों में देखा गया है। *इसके बजाय, यूपी (*UP) *को राज्य में परिवार नियोजन की उच्च अपूर्ण आवश्यकता (एनएफएचएस-*4 (NFHS-4) *के अनुसार* 18.1%) *की तरफ ध्यान देने पर प्राथमिकता देनी चाहिए, जो राष्ट्रीय औसत* 13% *से बहुत अधिक है।*

रेफरेंस

Abeykoon, A. P., Dr. (2011). Sri Lanka's Success Story in Population Management: A Lessonfor Other Programmes* *Economic Review, 37*(3&4), 1-9. Retrieved from http://www.ihp.lk/publications/docs/Successstory.pdf

Government of Assam, Health and Family Welfare (A) Department. (n.d.). Draft State Population Policy, Assam.

Nirmala Buch. (2005). Law of Two-Child Norm in Panchayats: Implications, Consequences and Experiences. *Economic and Political Weekly, 40*(24), 2421-2429.

Rao, Mohan. (2003). Two-Child Norm and Panchayats: Many Steps Back. *Economic andPolitical Weekly* 38(33): 3452-454. http://www.jstor.org/stable/4413903.

Rao, M. (2015). Population Policies and the Two-Child Norm: A Note. *Ambedkar UniversityDelhi,* 1-9.

Rizvi, N. (2014, March 19). Successful family planning in Bangladesh. https://www.dandc.eu/en/article/successful-family-planning-bangladesh-holistic- approach-leads-lower-fertility-rates-rates

Shiva Kumar A.K. (2010) Population and Human Development. Contemporary Concerns. Handbook on Population and Development. Oxford University Press.